

०२/१/२०२२ आज प्राण्य पेरा

राष्ट्रीय डाकपत्रकारान्तासिंह हॉ
सालीनामा डेकाधार पर वाद प्रो
डिजी डिपे जाने अनिदेहन वकुब्याप
द्वारा किया गया प्राण्यीका गहन
अध्ययन किया गया। पत्रकारान्
द्वारा पेरा सालीनामा को रस्ती
इत तदुत्तर राजीनामा डे काधार
पर वाद प्रो डिजी डिपे जाने की
स्थिति योग्य पाये जाने की स्थिति
में वाद वाहिमा डिजी डिपे जाता
है आदेश किपे जा रहे हैं। हाल
आशली २५ सस नम्बर ५३७
१३७०-२० ह० वाकु गहन सालीनी
रस्ती मुण्डावर के १/५ भाग के

3116 हिस्से से पत्थरियां खरमा
01 मिश्रो देवी के नाम को एक
कर काफिया सुशीला देवी के

3116 भाग दर 1/4 हिस्सा लवा
पत्थरियां खरमा 01 मिश्रो देवी के
1/16 भाग दर 1/4 भाग (हिस्सा)
का कवाते हार वापिस्वरिकेट में
दर्ज किया जावे।

दखुला पर्चा डि ग्री जारी
अमल हेतु पादनाथ काहनाम बनाम
लक्ष्मी लाल मुंडावर जारी है
पञ्चायती केवलुशुमा के डर नाम
के उमरों काद तकमील कातिलजिल
वत्त अठार है हुनामा अमान



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर, राज०

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (P.A.S.)

दावा संख्या
269 / 2021

रजू दिनांक
21.09.2021

पर्चा डिक्री दिनांक
02.09.2022

// उनवान //

1 शुशीला देवी पत्नि जसवन्त सिंह जाति अहीर निवासी सानोली तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०।

:- वादीया

बनाम

- 1 मिश्रो देवी पत्नि जगमालसिंह जाति अहीर निवासी सानोली तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०।
- 2 श्रीमान लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर
- 3 श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय, मुण्डावर अलवर

प्रतिवादीगण

दावा- इश्तकरारहक बम्य दुरुस्ती
मय हु०ई० दवामी।

-: पर्चा डिक्री :-

वादिया की ओर से एडवोकेट श्री गंगाराम पटेल एवं प्रतिवादीया सं० 01 की ओर से श्री मुकेश कुमार गुर्जर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.09.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

न्यायालय वादिया के वाद को बरूवे राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। विवादित हाल ख०नं० 537 रकबा 0.20 है० वाके ग्राम सानोली तह० मुण्डावर जिला अलवर, के 1/4 भाग के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं० 01 के नाम हो रहे 13/16 हिस्सा को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके सीन पर प्रतिवादी सं० 01 के नाम हिस्सा 1/16 भाग दर 1/4 भाग का अंकन किये जाने एवं वादिया को 3/16 भाग दर 1/4 हिस्स का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०